# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर
## अपील संख्या 24 / 2016

1- श्रीमती गीता मूलचन्दानी पत्नी श्री ठाकुरदास मूलचन्दानी जाति सिन्धी उम्र 70 वर्ष
2. श्री ठाकुरदास मूलचन्दानी पुत्र स्व0 श्री प्रीतमदास मूलचन्दानी, जाति सिन्धी उम्र 73 वर्ष निवासीगण मकान नं0 380 / 25, आशा गंज, अजमेर हाल निवासी 446 / 24, चांद बावडी, शोभराज आटा चक्की के पास, आशा गंज अजमेर।

.....अपीलान्ट

**बनाम**

1. राज्य सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी अजमेर।
2. श्री मुकेश मूलचन्दानी पुत्र श्री ठाकुरदास मूलचन्दानी, जाति सिन्धी,
3. श्रीमती लाजवन्ती पत्नि श्री मुकेश मूलचन्दानी, जाति सिन्धी निवसीगण मकान नं0 38 / 25, आशागंज अजमेर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

**अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 03.03.2016 अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी एवं भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर**

दिनांक :– 24.08.2016

*आदेश*

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण 70, 73 वर्षीय वृद्व वरिष्ठ नागरिक है जिसके दो पुत्र मुकेश व मनीष तथा एक पुत्री है जो विवाहित है। अपीलार्थीगण की आशागंज अजमेर में एक मात्र खरीदशुदा निजी सम्पति रिहायशी दो मंजिला मकान नं0 380 / 25 है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 अपीलार्थीगण का पुत्र एवं रेस्पोडेन्ट सं0 3 उसकी पत्नी है, जो कि न्यायालय में क्लर्क है, जिसका व्यवहार शुरू से ही अपीलार्थीगण के प्रति ठीक नहीं रहा। रेस्पोडेन्ट सं0 3 रेस्पोडेन्ट सं0 2 के साथ मिलकर अपीलान्ट्स के उक्त एक मात्र आवासीय सम्पति को अकेले रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम करने का दवाब बनाते हुए अपीलान्ट्स के साथ अभद्र व्यवहार करती है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम उक्त सम्पति नहीं कराने के कारण रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 अपीलान्ट्स के साथ क्रुर व्यवहार कर मार–पीट, गाली गलौच मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित कर उनको उन्ही की खरीदशुदा सम्पति, रहवासीय मकान से बाहर निकाल दिया। अपीलान्ट्स का स्वयं का आवास होने पर भी मजबूरन किराये के मकान में रहना पड रहा है। अपीलान्ट्स वरिष्ठ नागरिक होने के साथ ही ब्लड प्रेशर, शुगर ,व हार्ट की बिमारियों से ग्रसित है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स की सार संभाल व देखभाल करने के बजाय अपने ही घर से बेदखल किये जाने पर उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी नहीं किये एवं अपीलान्ट्स को सुने बिना ही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

24/8/16
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

दिनांक 03.03.2016 से खारिज कर दिया। इस आदेश से असन्तुष्ट होकर आक्षेपित आदेश को विधि एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए अपीलान्ट्स द्वारा इसे अपास्त करने एवं आशागंज स्थित उनके स्वयं का खरीदशुदा रहवासीय मकान सं0 380/25 का कब्जा रेस्पोडेन्ट्स से दिलवाया जाने का आदेश न्यायहित में पारित फरमाने की इस्तदुआ के यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स स्वयं उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत किया। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

रेस्पो नं0 3 ने अपीलान्ट्स की अपील मयाद बाहर होने तथा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रार्थना पत्र के कथन झूठे होना बताते हुये अपील को मयाद बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया। जवाब में अपीलान्ट्स ने अनुरोध किया कि अपीलान्ट्स शुगर व ब्लड प्रेशर के मरीज है। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि विलम्ब से उपलब्ध करवाई गई। अपीलान्ट्स को कानून की जानकारी नहीं होने एवं बीमार हो जाने कारण अपील कुछ विलम्ब से प्रस्तुत की गई हैं। प्रस्तुति में हुई देरी को न्यायहित में कन्डोन किया जावे तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। मियाद बिन्दु बाबत् कथनो पर मनन किया न्यायहित में प्रा0 पत्र धारा 5 मयाद अधि0 स्वीकार कर अपील मयाद में शुमार करते हुऐ गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया। उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई।

अपीलार्थीगण ने अपने अपील कथनों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अपीलान्ट्स वरिष्ठ नागरिक है जिसके दो पुत्र मुकेश व मनीष तथा एक पुत्री है सभी विवाहित है। अपीलार्थीगण का आशागंज अजमेर में खरीदशुदा रिहायशी दो मंजिला मकान है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 अपीलार्थीगण का पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट सं0 3 उसकी पत्नी है, जो कि न्यायालय में क्लर्क है, जिसका व्यवहार शुरू से ही अपीलार्थीगण के प्रति ठीक नहीं रहा। रेस्पोडेन्ट सं0 3, रेस्पोडेन्ट सं0 2 को उकसाकर उसके साथ मिलकर उक्त आवासीय मकान को अकेले रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम कराने का दवाब बनाते हुए उनके साथ अभद्र व्यवहार करती रहती है। अपीलान्ट सं0 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम उक्त सम्पति नहीं कराने पर रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 द्वारा अपीलान्ट्स के साथ कुर व्यवहार मार–पीट, गाली गलौच, मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित करतें है। रेस्पोडेन्ट सं0 3 सिविल न्यायालय में लिपिक होने के कारण अपीलान्ट पर दहेज के झूठे मुकदमें दर्ज करवा दिये जबकि हमने रेस्पोडेन्ट की शादी बिना दहेज की थी यह सर्व विदित है। जो सोना हमारी ओर से रेस्पो0 सं0 3 को दिया गया था उसे इनके द्वारा बेच दिया गया है जिसकी रसीद श्रीमान् के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है। रेस्पो0 सं0 3 द्वारा आये दिन महिला थाने में झूठी शिकायते पेश कर उन्हे इस वृद्धावस्था में नाजायज परेशान करती है। रेस्पो. सं0 3 द्वारा झूठी शिकायते कर गाली गलौच, लडाई झगडा कर उनके बडे बेटे को

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

भी उक्त रहवासीय मकान की उपरी मंजिल से निकालकर ताले लगा दिये है। उनको उन्ही की खरीदशुदा सम्पति, रहवासीय मकान से बाहर निकाल दिया गया है। अपीलान्ट्स को स्वयं का आवास होने पर भी मजबूरन किराये के मकान में रहना पड रहा है। अपीलान्ट्स वरिष्ठ नागरिक होने के साथ ही ब्लड प्रेशर, शुगर, व हार्ट की बिमारियों से ग्रसित है। रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स की सार संभाल व देखभाल करने की बजाय उनको उन्ही के घर से बेदखल किये जाने एवं बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया जो अपीलान्ट्स की अधिकार सीमा का उल्लघंन है। अपीलान्ट द्वारा माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत संरक्षण पाने एवं अधिनियम की धारा 22, 23 के तहत उक्त अचल सम्पति रहवासीय मकान कब्जा रेस्पोडेन्ट से पाने की अधिकारिता के तहत न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण, अजमेर के यहॉ रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको अधिनस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.03.2016 से अस्वीकार कर दिया। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश उक्त अधिनियम की मंशा के बिल्कुल विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त आक्षेपित आदेश को निरस्त फरमाते हुए हमारी उपरोक्त दयनीय स्थिति को देखते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर हमें हमारी खरीद शुदा सम्पति उक्त रहवासीय मकान का खाली कब्जा रेस्पोडेन्ट से जरिये पुलिस इमदाद दिलवाये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावें ताकि अपीलान्ट्स अपनी शेष जिन्दगी शान्ति से गुजर बसर कर सके।

जवाब में रेस्पोडेन्ट ने अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स पिछले चार साल से श्रीमती नीता मूलचन्दानी की सम्पति मकान सं0 446/24 चादॅ बावडी, आशा गंज, अजमेर में निवास कर रहे है। अपीलान्ट्स द्वारा बीमार होने के कथन बिल्कुल गलत है। अपीलार्थीगण पूर्णतया स्वस्थ है। अपीलार्थी सं0 1 आये दिन उनसे झगडा कर नाजायज परेशान करती है। दहेज के लिए परेशान करने एवं मेरा स्त्री धन (सोना) हडप करने पर मेरे द्वारा इन पर दहेज का मुकदमा भी दायर कर रखा है जो विचाराधीन है। अपीलार्थीगण के विरूद्ध विचाराधीन फौजदारी प्रकरण पर कार्यवाही नहीं हों उस पर राजीनामा करने एवं उसे उठाने का दवाब रेस्पोडेन्ट्स पर बनाने हेतु सोच विचार कर गलत तथ्यों का हवाला देते हुए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए भरण पोषण अधिनियम की आड में रेस्पोडेन्टस को मकान से बेदखल करने हेतु झूठा प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो इस न्यायालय में स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपीलान्ट द्वारा मान0 न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस को हैरान परेशान करने एवं न्यायालय का किमती समय खराब करने योग्य बेबुनियाद झूठी एवं विधि विरूद्ध अनुतोष के प्रस्तुत अपील सव्यय खारिज फरमाते हुए रेस्पोडेन्ट को विशेष हर्जा खर्चा दिलवाया जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावें।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आशागंज स्थित विवादित रहवासीय सम्पति सं0 380/25 अपीलान्ट की निजि खरीदशुदा है। रेस्पोडेन्टस सं0 2 व 3 अपीलान्ट्स के बेटा एवं बहू है जो कि वादग्रस्त दो मंजीला रहवासीय सम्पति के ग्राउन्ड फ्लोर के दो रूम में रहते है, तथा इसके अलावा उनके पास रहने की दूसरी

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

1/8/16

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

कोई व्यवस्था भी नहीं है। ग्राउन्ड फलोर का एक रूम एवं प्रथम फ्लोर का सम्पूर्ण हिस्सा अपीलान्ट्स के पास बताया गया है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 भी अपीलान्ट्स को नीचे का एक रूम एवं प्रथम फ्लोर का सम्पूर्ण हिस्सा उपलब्ध कराने हेतु सहमत है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यों, सुनवाई दौरान हमारे समक्ष व्यक्त कथनों, उनकी अस्वस्थता, वर्तमान परिस्थिति एवं अवस्था को देखते हुए अपील, अपीलान्टस इस हद तक स्वीकार की जाती है कि रेस्पोडेन्टस सं0 2 व 3 ग्राउन्ड फलोर पर स्थित एक रूम एवं प्रथम फ्लोर के हिस्से में किसी भी प्रकार से दखलदांजी नहीं करें। अपीलान्ट्स जो कि उनके माता–पिता, सास–ससुर है तथा वद्धावस्था में है की उचित देखभाल करते हुए उनके शान्ति पूर्ण जीवन यापन में सहयोग करें, किसी प्रकार से लडाई–झगडा वाद विवाद, आदि नहीं करें। इस आश्य की लिखित अन्डर टेंकिग न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर के समक्ष आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर एवं सम्बन्धित थानाधिकारी, पुलिस थाना क्लाक टॉवर, अजमेर, आदेश की पालना सुनिश्चित करावें तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्री मुकेश मुलचन्दानी एवं रेस्पोडेन्ट सं0 3 श्रीमती लाजवन्ती को आदेश की पालना कठोरता से करने हेतु पाबन्द करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.8.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर

द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय

Scanned by CamScanner